

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की दिशा में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) न निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदन निगम को सूचित होगा ।
- (iv) स्वीकृत शर्तों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

रमल खिड्डी ब्लैक आवासीय प्रयोजनात्मक

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 014-सि दिनांक 18/03/2019
प्राचीन आवासीय शर्त, आवासीय शर्त, आवासीय शर्त पत्नी/पुत्र श्री
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 2 पृ 18 आवासीय
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये RS = 8500/- जमा की
जरिये रसीद संख्या 1005/8717, 8718
दिनांक 23/03/2019 को जमा करा दी है ।

प्रमुख

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

Prakash Sharma
Mobile +91 9001302654